अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 नवम्बर, 2010

सा.का.नि. 894(अ).— केन्द्रीय सरकार, भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 (2007 का 37) की धारा 39 की उपधारा (1) और उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भांडागारण (विकास और विनियमन) वार्षिक रिपोर्ट और विवरणी नियम, 2010 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **परिभाषाएं**-(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

(क) "अधिनियम" से भांडागारण (विकास और विनियमन) अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;

(ख) "उपाबंध" से इन नियमों से उपाबद्ध उपाबंध अभिप्रेत है ।

(2) वे शब्द और पद जो इन नियमों में प्रयुक्त है किंतु परिभाषित नहीं है उनका वही अर्थ होगा जो अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित है ।

3. **विवरणी का प्रस्तुत किया जाना**-(1) प्राधिकरण, उन मामलों सहित जो केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय किए जाए, उपाबंध-I में विनिर्दिष्ट मामलों पर तिमाही विवरणी और कथन केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राधिकरण, भांडागारण उद्योग के संप्रवर्तन और विकास के लिए किसी प्रस्तावित या विद्यमान कार्यक्रम के संबंध में ऐसी विवरणियां, कथन या विशिष्टियां भी प्रस्तुत करेगा जो केन्द्रीय सरकार समय-समय पर विनिर्दिष्ट करे ।

4. **वार्षिक रिपोर्ट की तैयारी और प्रस्तुत किया जाना**-(1) प्राधिकरण अधिनियम की धारा 39 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पश्चात् यथाशीघ्र उपाबंध-2 में यथाविनिर्दिष्ट वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगा ।

(2) वार्षिक रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित को अंतर्विष्ट करते हुए पूर्व वित्तीय वर्ष के दौरान क्रियाकलापों का एक लेखा अंतर्विष्ट होगा,--

(क) कारपोरेट और प्रचालन ध्येय तथा प्राधिकरण के उद्देश्यों का विवरण ;
(ख) खंड (क) की पृष्ठभूमि में विभिन्न क्रियाकलापों के लिए दिए गए वास्तविक और वित्तीय शर्तों में वार्षिक लक्ष्य जिनमें उन लक्ष्यों के संदर्भ में वास्तविक निष्पादन का संक्षिप्त पुनर्विलोकन हो ;
(ग) पूर्व वर्ष और चालू वर्ष के दौरान प्राधिकरण के क्रियाकलापों पर एक प्रशासनिक रिपोर्ट और क्रियाकलापों का एक लेखा जिन्हे अगले वित्तीय वर्ष के दौरान किए जाने की संभावना है ;
(घ) प्राधिकरण के संगठनात्मक गठन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ;
(ङ) नियोजक-कर्मचारियों के संबंधों पर रिपोर्ट और प्राधिकरण के कल्याणकारी क्रियाकलाप; और
(च) ऐसे अन्य प्रकीर्ण मामलों पर रिपोर्ट जो केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट करने के लिए प्राधिकरण द्वारा ठीक समझे जाएं ।

(3) वार्षिक रिपोर्ट प्राधिकरण की बैठक में अंगीकार करने के पश्चात् अध्ययक्ष द्वारा हस्ताक्षरित की जाएगी और प्राधिकरण की अनुप्रमाणित सामान्य मुद्रा लगाकर अधिप्रमाणित की जाएगी तथा प्रत्येक कलेंडर वर्ष में 30 सितंबर तक प्रतियों की अपेक्षित संख्या सहित केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत की जाएगी ।

उपाबंध-1

भांडागारण विकास और विनियमन प्राधिकरण द्वारा तिमाही में प्रस्तुत किए जाने के लिए अपेक्षित विवरणियां और कथन तथा अन्य विशिष्टियां

(नियम 3 देखिए)

I. प्राधिकरण द्वारा भांडागारण के रजिस्ट्रीकरण का कथन ।

क्रम सं0	रजिस्ट्रीकरण के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित भांडागारों की संख्या

II. भांडागारों द्वारा प्रदान की गई सेवा की क्वालिटी को मानीटर करने के लिए प्राधिकरण/या इसके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा संचालित भांडागारों के कालिक निरीक्षण का विवरण ।

क्रम सं0	तिमाही के दौरान संचालित भांडागार ब्यौरे सहित का निरीक्षण	प्राधिकरण का संप्रेक्षण	किए गए उपचारात्मक उपाय

III. प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन अभिकरणों के रजिस्ट्रीकरण का विवरण ।

क्रम सं0	प्रत्यायन अभिकरणों से प्राप्त आवेदन की संख्या	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकरण भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	रजिस्ट्रीकरण के लिए लंबित प्रत्यायन अभिकरणों की आवेदन संख्या

IV. प्राधिकरण/या प्राधिकृत रूप में संचालित प्रत्यायन अभिकरणों के कालिक निरीक्षण का विवरण ।

क्रम सं0	तिमाही के दौरान रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की ब्यौरे सहित संख्या	प्राधिकरण का संप्रेक्षण	किए गए उपचारात्मक उपाय

V. विवाद के निपटारे और उसके न्यायनिर्णयन के लिए प्राधिकरण के समक्ष फाइल किए गए मामलों की संख्या का विवरण ।

क्रम सं0	पिछली तिमाही में लंबित मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त मामलों की संख्या	तिमाही के दौरान निपटाए गए मामलों की संख्या	तिमाही के अंत में लंबित मामलों की संख्या

VI. प्राधिकरण के निदेशों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा भांडागारों पर अधिरोपित शास्ति का विवरण ।

क्रम सं0	भांडागारों का नाम	जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा	अधिरोपित शास्ति

VII. प्राधिकरण के निर्देशों के उल्लंघन के लिए प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायन अभिकरणों पर अधिरोपित शास्ति का विवरण ।

क्रम सं0	प्रत्यायित अभिकरणों का नाम	जारी किए गए निदेशों के ब्यौरे	अधिरोपित शास्ति

उपाबंध-2

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण की वार्षिक रिपोर्ट का प्ररूप

भाग-1

नीतियां और कार्यक्रम :

(1) भांडागारण सेक्टर के साधारण आर्थिक पर्यावरण का पुनर्विलोकन ।

(2) निम्नलिखित की बाबत नीतियों और कार्यक्रमों का पुनर्विलोकन :--

(क) ग्रामीण/शहरी भांडागारण क्रियाकलाप ;

(ख) भांडागारण क्रियाकलापों का विस्तार ;

(ग) आधारिक और मूल्य वर्धित सेवा में प्राइवेट सेक्टर का प्रवेश ;

(घ) भांडागारों के मध्य तकनीकी संगति और प्रभावी अंतःसंबंध ;

(ङ) वैज्ञानिक भांडागारण प्रोद्योगिकी ; और

(च) भांडागारण सेवा की क्वालिटी ।

भाग-2

भांडागारण सेक्टर के संबंध में भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के कार्यकरण और प्रचालन का पुनर्विलोकन--

(क) ग्रामीण/शहरी भांडागारण क्रियाकलाप ;

(ख) भांडागारण सेक्टर का विस्तार ;

(ग) भांडागारों द्वारा प्रौद्योगिकी संगति और प्रभावी भांडागारण ; और

(घ) सेवा की क्वालिटी ।

भाग-3

भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण आदि के आंकड़े

(क) रजिस्ट्रीकृत भांडागारों की संख्या ;

(ख) भांडागारों के नवीकृत रजिस्ट्रीकरण की संख्या ;

(ग) रद्द किए गए आवेदनों की संख्या ;

(घ) निलंबित या रद्द किए गए रजिस्ट्रीकरणों की संख्या ;

(ङ) भांडागारों के रजिस्ट्रीकरण के निबंधन और शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना ;

(च) माल के निक्षेपकर्ताओं के हित के संरक्षण के लिए उठाए गए कदम ; (न्यायनिर्णीत मामलों के ब्यौरे सहित उठाए गए कदमों का ब्यौरा दें) ।

(छ) भांडागारण सेवाओं क़े प्रचालन में समापन सुकर करने और निपुणता को सुकर बनाने के लिए कदम उठाना ताकि ऐसी सेवाओं के विकास को सुकर बनाया जा सके ; (उठाए गए कदमों और उन के परिणामों का ब्यौरा दें)

(ज) भांडागारण सेवा प्रदाताओं और परक्राम्य भांडागार रसीद धारकों के बीच विवादों का निपटारा (न्यायनिर्णीत विवादों का ब्यौरा दें)

(झ) भांडागारण सेक्टर के विकास से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार को दी गई सलाह का ब्यौरा और इस विषय से संबंधित कोई अन्य मामला ; (दी गई सलाह और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया का ब्यौरा दें)

(ञ) केन्द्रीय सरकार द्वारा प्राधिकरण को सौंपे गए प्रशासनिक और वित्तीय कृत्य ;
(प्रत्यायोजित कृत्यों के निष्पादन के संबंध में ब्यौरा दें)

(ट) सेवा की क्वालिटी की मानीटरी और भांडागारों द्वारा ऐसी सेवा संवर्धक सर्वेक्षण का ब्यौरा (उठाए गए कदमों और प्राप्त परिणामों का ब्यौरा दें)

(ठ) भांडागार सेक्टर में प्रयुक्त उपस्करों और पेस्ट नियंत्रण सेवाओं का श्रेणीकरण और का निरीक्षण तथा भांडागार द्वारा उपस्कर के प्रकार पर की गई सिफारिशें ;

(किए गए निरीक्षण और की गई उपचारात्मक कार्रवाई का ब्यौरा दें)

भाग-4

वित्तीय निष्पादन सहित भांडागारण विकास और विनियामक प्राधिकरण के संगठनात्मक मामले ।(ब्यौरे).....

[फा. सं. टीएफसी/18/2008]

नवीन प्रकाश, संयुक्त सचिव